प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

अनवान : –

1. गणेश खर्रा पुत्र बंशी लाल खर्रा जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बंशी लाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. राजबाला पुत्री बंशी लाल खर्रा जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

2. श्री अजय गुरू अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांकः 19.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 237/115 की कुल 3. 5160 में से 1505/2574 हिस्सा व रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 115/104 की कुल 5.5130है भूमि में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 2 वादी की बहिन है जो की उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई यानि की वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। उक्त हक हिस्सा वाली भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की उक्त वादी भूमि जो की बंशी लाल खर्रा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो कि वादी का पिता है का नाम कलमजन कर वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 3 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किय गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा हैं। प्रतिवादीया स0 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। वादी अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 2 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 237/115 की कुल 3.5160 में से 1505/2574 हिस्सा व रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 115/104 की कुल 5.5130है भूमि में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 2 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 237/115 की कुल 3.5160 में से 1505/2574 हिस्सा व रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 115/104 की कुल 5.5130है भूमि में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– चक सरदारपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 868 / 2022

अनवान : –

1. गणेश खर्रा पुत्र बंशी लाल खर्रा जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बंशी लाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
2. राजबाला पुत्री बंशी लाल खर्रा जाति जाट निवासी चक सरदारपुरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 868 सन 2022 निर्णय दिनांक 19.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी व वकील प्रतिवादी श्री अजय गुरू एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 237 / 115 की कुल 3.5160 में से 1505 / 2574 हिस्सा व रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 115 / 104 की कुल 5.5130है भूमि में से 1 / 3 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
शिविर प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– चक सरदारपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:08 IST
Reason: SelfAttested